**उत्तर प्रदेश शासन**
**आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1**
**संख्या: 1803 आठ–1–20–17बैठक/2018टी.सी.**
**लखनऊ : दिनांक : 5 दिसम्बर, 2020**

## प्रेस–विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किरायेदारी विनियम अध्यादेश, 2020 (The Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Ordinance, 2020) प्राख्यापित करने की कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त अध्यादेश का प्रस्तावित ड्राफ्ट जनसामान्य एवं हितबद्ध व्यक्तियों से सुझाव/अभिमत आमंत्रित किए जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट http://awas.up.nic.in तथा आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाईट www.awasbandhu.in पर अपलोड किया गया है। सुझाव/अभिमत लिखित रूप से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ के कार्यालय अथवा ई–मेल sohousingone@gmail.com पर दिनांक 20.12.2020 के सायंकाल 05.00 बजे तक उपलब्ध कराये जा सकते है।

05/12

**(दीपक कुमार)**
प्रमुख सचिव

Scanned with CamScanner